पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मे०न० — 642/2021

उनवान : —

विकास कुमार पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

निहालाराम पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

रणवीर पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रियंका पुत्री रणवीर जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :— श्री विकास शर्मा — वादीगण
श्री कुन्दनलाल — प्रतिवादीगण

डिक्री — दिनांक 27/3/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 19 के. एन. एन. जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स० 76/77 में अंकित कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण व०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चक 19 केएनएन के खाता स0 76/77 में से प्रतिवादी रणवीर पुत्र गोपालराम का नाम कलमजन किए जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।

Scanned with CamScanner